

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- # 10. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार): लागू नहीं
- # 11. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नार इत्यादि): लागू नहीं
- # 12. सम्पत्ति की अवस्थिति: अर्द्धनगरीय क्षेत्र
- # 13. पेड़ों का मूल्यांकन: लागू नहीं
- # 14. बोरिंग/कुआ/अन्य: लागू नहीं
- # 15. राष्ट्रीय, जनपदीय अथवा लिंक मार्ग खसरा नम्बर 1300, 1299, 1302ख, 1303 लिंक मार्ग पर स्थित है।
- # 16. सहकारी आवास समिति के राजस्व से सम्बन्धित है:

नहीं

[Handwritten signature]
सुपरीक



बि-सी-सी
अनुदेय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या सं0वि0क0नि0-5-2756 / 11-2008-500(165) / 2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन 2,13,300 / - रुपये.


विभरण विक्रित भूमि:
भूमिधारी भूमि खाता संख्या 00004 के खसरा नम्बर 1300 रकबा 0.3290 है0 व खसरा नम्बर 1299रकबा 0.1770 है0 व खसरा नम्बर 1302ख रकबा 0.1390 है0 व खसरा नम्बर 1303 रकबा 0.0890 है0 व खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.2020 है0 व खसरा

श. श्री श्री
वामदेव

गुजराव



Handwritten signature or name.



उत्तर प्रदेश, UTTAR PRADESH

533880

पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक हैं।

विक्रेता प्रथम पक्ष दृष्टिविहीन/विकलांग व्यक्ति नहीं है।

निम्न भूमि के 200 वर्ग मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि
संज्ञालित है।

विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि
सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।

केन्द्रा द्वितीय पक्ष के परिवार के पास कय की गयी भूमि सहित
समस्त उत्तर प्रदेश में 12.1/2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।


विक्रित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेन्ट ग्रान्ट
एक्ट के अधीन दिये गये पट्टे की भूमि नहीं है।

Signature


सि. १०५०
अ. २१



Signature

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हम कि अमित पुत्र स्व० श्री जयबीर व श्रीमती कमलेश पत्नी
स्व० श्री जयबीर निवासीगण ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना
व तहसील सरधना जिला मेरठ ..विक्रेता/प्रथम पक्ष

एवं

मैसर्स श्री विश्वकर्मा बिल्डर्स रजि० ऑफिस 159 शास्त्री कालोनी
निकट आर्य नगर कंकर खेडा मेरठ द्वारा डायरेक्टर्स/पाटनर्स
मानदीप लाम्बा पुत्र श्री परमजीत लाम्बा निवासी 83 ग्राम सिवाया

Amrit Kumar


स. २५००
क. २५२१



Amrit Kumar
अमित



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17 JUN 2018 533878

SARDHANA (MIEERUT)

जम्हाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ व
कुम्भदीप पुत्र श्री जगपाल सिंह निवासी ग्राम सिवाया
जम्हाउल्लापुर परगना व तहसील सरधना जिला मेरठ
क्रेबा / द्वितीय पक्ष

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि प्रथम
पक्ष के स्वामित्व की है, और प्रथम पक्ष को बहसियत होने पूर्ण
स्वामी भूमिधारी उक्त को विक्रय करने के पूर्णतः अधिकार प्राप्त
हैं कि जो आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण भार, दोष
वैधानिक व हस्तान्तरण आदि से मुक्त व रहित है। मूल्य इस

Ram Bahadur



रि. शिव
कपूर 2



17/6



असुराज





भारत प्रदेश UTTAR PRADESH

- ॥ कालोनी निकट आर्य नगर कंकर खेडा मेरठ द्वारा
- ॥ डायरेक्टर/पाटनर्स मनदीप लाम्बा पुत्र श्री परमजीत लाम्बा
- ॥ निवासी 83 ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील
- ॥ सरधना जिला मेरठ व कुलदीप पुत्र श्री जगपाल सिंह निवासी
- ॥ ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना व तहसील सरधना जिला
- ॥ मेरठ को विक्रय कर दी और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष ने
- ॥ द्वितीय पक्ष से निम्नानुसार प्राप्त करके विक्रित भूमिधरी उक्त को
- ॥ अपने अधिकार व अधिपत्य स्वामित्व आदि से निकालकर द्वितीय
- ॥ पक्ष के स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि में देकर और भूमिधरी
- ॥ विक्रित उक्त का मौके पर खाली का कब्जा द्वितीय पक्ष को

Handwritten signature and the word 'कुलदीप' (Kuldeep).

Handwritten text 'रु. 5000' and 'अनुप' (Anup).

10





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17 JUN 2013 Z 482426

देकर, द्वितीय पक्ष को अपनी भांति पूर्ण रूप से मालिक व स्वामी बना दिया। अब प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के वारिसान का कोई सम्बन्ध किसी किस्म का भूमिधारी विक्रित से शेष नहीं रह गया है और ना ही भविष्य में होगा। वास्तविक परिवर्तन क्रियान्वित हुआ और यह विक्रय सही एवं वैधानिक एवं क्रियान्वित करने श्रेय है तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह भूमिधारी विक्रित उक्त को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लाये, जिस में प्रथम पक्ष व अन्य किसी को कोई आपत्ति करने का अधिकार न होगा, तथा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपना नाम सरकारी रिकार्ड माल कागजात में बहैसियत मालिक दर्ज

[Handwritten signature]

रु. 1000
on 17/6/13



[Handwritten signature]
गुलशन



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

करा लें। नाम दर्ज कराने में जहां कहीं भी प्रथम पक्ष के हस्ताक्षरों व रजामन्दी की आवश्यकता होगी तो उस में प्रथम पक्ष को कुछ उच्च व एतराज न होगा तथा आज से पूर्व के जो भी ड्यूज आदि होंगे, उनको अदा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। यदि मुझ प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी या सम्बन्धी या सहभागी के वादवश भूमिधारी विक्रित उक्त या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जावे या उस पर कोई ऋण या भार पाया जावे तो ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी दशा हो मय हर्जा खर्चा

18.5.2013
अ. प्रदीप

अ. प्रदीप






भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 482 27

वैनामा मय ब्याज मय वाद व्यय सहित यदि कोई द्वितीय पक्ष को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये खर्च करना पड़े तो न्यायालय द्वारा मुझ प्रथम पक्ष से व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी से तथा प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार भी उचित जाने वसूल करे, जिसमें प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारीगण को कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और उचित समय पर काम आवे।

विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्य


Signature



Signature



Signature



Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

192 JUN 2013 BP 993348

1. अंकन 15,22,700 / - रुपये द्वारा चैक नम्बर 853231
दिनांकित 18.06.2013 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मोदीपुरम
मेरठ
2. अंकन 15,22,700 / - रुपये द्वारा चैक नम्बर 853232
दिनांकित 18.06.2013 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मोदीपुरम
मेरठ

[Signature]
S. S. S. S.



[Signature]
S. S. S. S.



[Signature]



[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 993349

3. अंकन 54 / - रुपये नकद पूर्व में ही

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से कुल अंकन

30,45,454 / - रुपये प्राप्त किये।

दिनांक: - 18.06.2013 (अठारह जून सन् दो हजार तेरह) पाठक सुनील पाठक (मेरठ) सरधना लेखक सरधना (मेरठ) सरधना (मेरठ)

दि. 18.06.2013
 सुनील पाठक

सरधना

सरधना

सरधना

23x6

15/3/24
51/2
9642



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 533885

विकय पत्र

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

उपनिबन्धक कार्यालय: सरधना (मिर्हत)।

1. भूमि का प्रकार

(कृषि / आवासीय / वाणिज्यिक / औद्योगिक / अन्य): कृषि

भूमि

2. सर्किल रेट सूची क्रमांक 2-2 चतुर्थ खण्ड

[Signature]



रि. शुद्ध
सन्तरी



[Signature]

सुरक्षा

